न्यायालय अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, बोकारो।

भू–अर्जन अपील वाद संख्या–30 /2018–19

(निरंजन महतो एवं अन्य बनाम् NHAI एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
07-09-2020	प्रस्तुत अपीलवाद सक्षम पदाधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के भू–अर्जनवाद संख्या–10/2011–12, एवार्ड क्रमांक–1, 2, 36 में पारित आदेश के विरूद्ध निरंजन महतो एवं अन्य, ग्राम डेमोडीह, पोस्ट–जामगोडिया, थाना–चास (मु0) जिला–बोकारो के द्वारा लाया गया है। उक्त वाद मौजा डेमोडीह खाता नं0–13, प्लॉट नं0–59, रकवा–0.0692 एकड़ भूमि श्री निरंजन महतो वगैरह पिता स्व0 सरधू महतो तथा खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–197 रकवा–0.04 एवं प्लॉट संख्या–192/1 रकवा–0.08 विन्देश्वर महतो, गन्धेश्वर महतो एवं गदेश्वर महतो, पिता स्व0 जादू महतो से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि मौजा डेमोडीह खाता नं0–13, प्लॉट नं0–59, रकवा–0.0692, खाता संख्या– 12, प्लॉट संख्या–197 रकवा–0.04 एवं प्लॉट संख्या–192/1 रकवा–0.08 एकड भूमि रैयती खतियानी भूमि है। भू–अर्जन विभाग के द्वारा अर्जित किये गये भूमि का मूल्य कृषि योग्य भूमि के दर पर निर्धारित किया गया है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि मौजा डेमोडीह खाता नं0–13, प्लॉट नं0–59, रकवा–0.0692 तथा प्लॉट संख्या–192/1 रकवा–0.08 एकड में चाहरदिवारी का निर्माण किया गया है। उनका यह भी कहना है कि निकटवर्ती रैयत को आवासीय दर पर भुगतान किया गया है, परन्तु हमलोगों को गलत मूल्यांकन कर कम मुआवजा दिया जा रहा है, इसलिए आवेदकों द्वारा मुआवजा का भी भुगतान नहीं लिया गया है एवं पुनः मूल्यांकन कर आवासीय दर से मूल्यांकन कर मुआवजा हेतु अनुरोध	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी क्रम सं0 सहित तारीख

किया गया है।

द्वितीय पक्ष NHAI के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ–साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 2184/रा0, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू0अ0, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जॉच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा नावाडीह में आवेदित प्लॉट संख्या–59, धारा 3A में भूमि का किस्म पुरातन पतित गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म पुरानत पतित तथा प्लॉट संख्या–197, धारा 3A में भूमि का किस्म बाईद गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म बाईद प्रस्तुत किया गया था एवं प्लॉट संख्या–192/1, धारा 3A में भूमि का किरम कृषि गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किस्म कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किस्म कृषि तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किस्म के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHAI द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में परिवर्त्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था।

की क्रम सं0 र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि

आवेदक के द्वारा अपने वक्तव्य एवं लिखित जवाब के समर्थन में ऐसी कोई कागजात /साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावे को बल मिल सके।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागतातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा डेमोडीह खाता नं0––, प्लॉट नं0–59, 197, 192/1, रकवा–0.0692, 0.04, 0.08 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू–अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है।

आवेदक का यह भी दावा है कि संबंधित भूमि मौजा डेमोडीह खाता नं0–13, प्लॉट नं0–59, रकवा–0.0692 तथा प्लॉट संख्या–192/1 रकवा–0.08 एकड में चाहरदिवारी का निर्माण किया गया है, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन /NHAI द्वारा नहीं किया गया है।

परियोजना निदेशक, भारती राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो को आदेश दिया जाता है कि संबंधित भूखण्ड में बने चाहरदिवारी का पुनः मूल्यांकन करते हुए यदि मूल्यांकन राशि देय हो तो भुगतेय राशि यथाशीघ्र आवेदक को भुगताना करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, बोकारो।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, बोकारो।